भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 92

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया)

सीएसआर निधियों का दुरुपयोग

92. डॉ. सुजय विखे पाटीलः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई मामला देखा है जिसमें कंपनियां अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्ययों को वैध बनाने के लिए सार्वजनिक न्यासों का दुरुप्रयोग कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत वर्णित सभी क्रियाकलापों पर सीएसआर व्यय के लिए कर रियायत का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र में सीएसआर के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में सीएसआर के अंतर्गत पीएसयू द्वारा चलाई गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सीएसआर के अंतर्गत और कंपनियों के संवर्धन और समेकन हेतु धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर हेतु आर्थिक सीमा में संशोधन और कमी करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): समस्त सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अध्यादेशित कंपनियों को सीएसआर कार्यकलापों का विवरण वार्षिक रूप से एमसीए21 रजिस्ट्री में दायर करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर अनुपालन की निगरानी हेतु केन्द्रीकृत जांच और अभियोजन तंत्र की स्थापना की गई थी। जब कभी, सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो अभिलेखों की उचित जांच के बाद कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालक कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

(ख): जी नहीं।

(ग) और (घ): परियोजना-वार सीएसआर विवरण नहीं रखा जाता है। तथापि, महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया सीएसआर व्यय निम्नानुसार हैः

फाइलिंग का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-16		वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18	
	कंपनियों की संख्या	व्यय की गई कुल राशि (करोड़ रुपये में)	कंपनियों की संख्या	व्यय की गई कुल राशि (करोड़ रुपये में)	कंपनियों की संख्या	व्यय की गई कुल राशि (करोड़ रुपये में)
पीएसयू	532	4,214.67	546	3,295.98	527	2,553.36
गैर-पीएसयू	17758	10,302.52	18993	11,033.55	20870	11,067.15
कुल	18290	14,517.19	19539	14,329.53	21397	13,620.51

(दिनांक 30.06.2019 तक के आंकड़े) [स्रोतः राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

(ङ): जी नहीं।

*****